संख्या-344/2018/2730/22-2-2017-17(658)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 19 अप्रैल, 2018**

विषय:- जिला कारागार, कानपुरनगर में निरूद्ध सीमित अवधि की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी साहिल ऊर्फ बचान पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-रायबरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35977/प्रोबेशन-7/सीमित सजा/ (एम-06-09-2016) दिनांक-04-10-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 04-10-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी साहिल ऊर्फ बचान पुत्र श्री शरीफ, निवासी-उत्तरागौरी, थाना-कोतवाली लालगंज, जनपद-रायबरेली का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 22-06-2011 को एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर कानपुर से ऊंचाहार एक्सप्रेस टेन के चालू डिब्बे में करनलाल नामक व्यक्ति को जहरीला पदार्थ रूमाल में लगा कर चेहरे पर झटक दिया जिससे वह बेहोश हो गया और दो जोड़ी कपड़े आठ हजार रूपये नकद खाने पीने का सामान, एक मोबाइल, एक हाथ घड़ी चोरी कर ली। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2012 में भा0द0वि0 की धारा-328, 307, 379 तथा 411 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-16, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 02.09.2014 द्वारा सात वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2016 तक 04 वर्ष 05 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 09 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साहिल ऊर्फ बचान पुत्र श्री शरीफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी साहिल ऊर्फ बचान (बन्दी संख्या-700/14) पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-रायबरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-344/2018/2730(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-रायबरेली।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-344/2018/2730/22-2-2017-17(658)/2017
दिनांक 19 अप्रैल, 2018 का संलग्नक
<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, कानपुर नगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साहिल ऊर्फ बचान (बन्दी संख्या-700/14) पुत्र श्री शरीफ, निवासी-उत्तरागौरी, थाना-कोतवाली लालगंज, जनपद-रायबरेली का निवासी है। बन्दी दिनांक 22-06-2011 को एक सहअभियुक्त के साथ मिलकर कानपुर से ऊंचाहार एक्सप्रेस टेन के चालू डिब्बे में करनलाल नामक व्यक्ति को जहरीला पदार्थ रूमाल में लगा कर चेहरे पर झटक दिया जिससे वह बेहोश हो गया और दो जोड़ी कपड़े आठ हजार रूपये नकद खाने पीने का सामान, एक मोबाइल, एक हाथ घड़ी चोरी कर ली। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-83/2012 में भा0द0वि0 की धारा-328, 307, 379 तथा 411 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-16, कानपुरनगर के आदेश दिनांक 02.09.2014 द्वारा सात वर्ष के कठोर कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.04.2016 तक 04 वर्ष 05 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 09 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी साहिल ऊर्फ बचान पुत्र श्री शरीफ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in